भानू सिंह विरूद्ध शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अरक्ष०

प्रकरण क्रमांक – निग0 12–दो/91

जिला – गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.9.14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 58/83–84/अपील में पारित आदेश दिनांक 6–10–90 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि बाह्य प्रस्तुत होने से अस्वीकार किया गया है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । यह प्रकरण समयसीमा के संबंध में है । आवेदक अपने इस तर्क को कि उसके द्वारा अभिभाष को पक्ष समर्थन के लिए नियुक्त किया गया है सिद्ध नहीं कर पाया है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण 10 माह उपरांत प्रस्तुत किये जाने के कारण अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया गया है । प्रकरण में विलंब अंभिभाषक की त्रुटि के कारण हुआ इस संबंध में अभिभाषक का कोई शपथपत्र ना तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही इस न्यायालय में पेश किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा यह निगरानी निरस्त की जाती है । (एम.के.सिंह) सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	

COURT FEE 3 RS. भारत INDIA तीन रुपये THREE RUPEES

क्रमांक 200-II
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 31-1-91
को प्राप्त.

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /90-91 निगरानी 12-II/91

भानूसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह आयु 37 वर्ष व्यवसाय कृषि
निवासी ग्राम करैयाराय तहसील अशोकनगर जिला गुना
---- आवेदक

श्री ... माषकं द्वारा प्रस्तुत ।

विपरीत

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय गुना -- अनावेदक

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 58/83-84 अपील मे दिनांक 6-10-90 को पारित आदेश के विपरीत म0 प्र0भू0रा0संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी का आवेदन पत्र ।

माननीय महोदय,

सेवा मे निगरानी का आवेदन पत्र सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1= माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीधीन आदेश दिनांक 1-10-90 को पारित किया गया । प्रतिलिपि प्राप्ती हेतु आवेदन पत्र दिनांक 11-10-90 को दिया गया । प्रतिलिपि दिनांक 22-11-90 को प्राप्त हुई प्रतिलिपि प्राप्त मे लगा समय अवधि गणना से कम करने पर यह निगरानी अवधिमे प्रस्तुत है । माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने यह मानने मे भूल की है कि आवेदक यह सिद्ध नही कर सका कि उसके अभिभाषक ने उसे सूचना नही दी कि या अभिभाषक ने पैरवी नही की । जबकि आवेदक ने यह शपथपत्र दिया था कि उसने कलेक्टर महोदय के समक्ष पैरवी करने हेतुजो अभिभाषक नियुक्त किये थे उन्हे आवेदक ने पूरा मेहनताना दे दिया था और सम्पूर्ण निर्देश प्रदान किये थे तथा अभिभाषक नियुक्त किया था । इस कारण किसी भी स्थिती मे आवेदक के कथन को असत्य नही माना जा सकता था । इसी कारण आवेदक की निगरानी को स्वीकार किया जाना चाहिये था ।

2- अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नही किया जा सकता है, यह एक मान्य विधि का सिद्धांत है, लेकिन इस पर विचार करने मे माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है ।

3- माननीयअधिनस्थ न्यायालय ने अपर कलेक्टरके अभिलेख को देखे बगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित करनेमे भूल की है । जबकि अभिलेख से स्पष्ट ... कलेक्टर महोदय ने आवेदक के विपरीत सम्पूर्ण कार्यवाही एकपक्षीय की है, ...